न्यायालय कलेक्टर बालाघाट (म0प्र0)

सुंदर

रा0प्र0क0/0029/अ–59 वर्ष 22–23
मौजा सुंदर प0ह0नं0– 30
रा0.नि.मं तिरोडी तहसील तिरोडी
जिला बालाघाट म.प्र.

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट
———आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

आदेश दिसम्बर
(पारित दिनांक 5 नवम्बर 2022)

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1
बालाघाट द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु वन अधिकार
संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन के तहत वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य
गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने निवेदन किया
गया है ।

वन विभाग को ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न.
210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में
तहसीलदार तिरोडी द्वारा प्रकरण न्यायालय में संस्थित कर प्रकरण में सम्पूर्ण जांच कर
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
है। प्रकरण में ईश्तहार का प्रकाशन किया गया है। निर्धारित अवधि में कोई दावा आपत्ति
प्राप्त नहीं हुई । राजस्व विभाग एवं वनविभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त जांच
की गई। ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा
17.401, 71.854 हे. भूमि म.प्र.बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है, जो वृक्षारोपण हेतु
उपयुक्त है। ग्राम का 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा सुरक्षित रखने के उपरांत ग्राम सुंदर
तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे.
भूमि वन विभाग को हस्तांरित किये जाने अनुशंसा सहित प्रतिवेदित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी रा. कटंगी द्वारा तहसीलदार तिरोडी के प्रतिवेदन से
सहमत होते हुये ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1
रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांरित किये जाने अनुशसा की गई है।

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि वर्तमान अभिलेख में म.प्र.शासन बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है। तहसीलदार तिरोडी अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटंगी द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति दर्शायी है। प्रकरण में भूमि का स्थल निरीक्षण भी वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है तथा उन्होंने उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण के अवलोकन उपरांत राजस्व रिकार्ड में ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में म.प्र.शासन बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है। जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 28.11.2022 में पारित स्वीकृति प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत तथा अनुविभागीय अधिकारी कटंगी एवं तहसीलदार तिरोडी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा क्रमशः 17.401, 71.854 हे. कुल- 89.255 हे. भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-दो की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट को निर्देशित किया जाता है, कि वे वन विभाग की समिति द्वारा जारी स्वीकृति की कंडिकाओं का पालन करते हुए कार्य संपादित करें।

आज दिनांक 5/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आदेश पारित किया गया।

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)
कलेक्टर
जिला बालाघाट (म0प्र0)

बालाघाट दिनांक- 5/12/2022

पृ0क्र0/ 6333 /रीडर/कले0/2022

प्रतिलिपि :-

1-- महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट।
2-- वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बालाघाट
3-- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटंगी।
4-- तहसीलदार तिरोड़ी जिला बालाघाट।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
बालाघाट (म0प्र0)